14.55 hrs.

U.P. SUGARCANE CESS (VALIDATION) BILL

The Minister of Revenue and Civil Expenditure (Dr. B. Gopala Reddi): On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move:

> "That the Bill to validate the imposition and collection of cesses on sugarcane under certain Acts of Uttar Pradesh, be taken into consideration."

As the hon. Members may be aware, the U.P. Sugarcane Cess Act, 1956 was declared *ultra vires* and beyond the competence of the State Legislature by a majority judgment of the Supreme Court delivered on the 13th December, 1960, in the case of Diamond Sugar Mills Limited and another *vs.* the State of Uttar Pradesh. The State Government had been levying a cess of 19 *naye paise* on the entry of sugarcane within the premises of a factory. Prior to this, the State Government had been levying a similar cess under the U.P. Sugar Factories Control Act, 1938 and subsequently under the U.P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953. Section 9 of the impugned Act of 1956 provided that any cess imposed and act or thing done or omitted between the 26th day of January, 1950 and the publication of the 1956 Act in the State Gazette, *viz.*, 23rd June, 1956, under the Act of 1938 or of 1953 would be deemed to have been validly imposed, done or omitted under the 1956 Act. The invalidation of the U.P. Sugarcane Cess Act, 1956, thus invalidated all the levies and collection of sugarcane cess under any of these Acts, since 26th January, 1960.

It would appear from the judgment of the Supreme Court that the levy of cess was invalidated as the entry of sugarcane within the premises of a factory could not be described as entry of goods into a 'local area' within the meaning of Entry 52 of List II of the Seventh Schedule. The State Government was thus faced with a very difficult problem of having to refund the total cess collected since January, 1950 which was of the order of Rs. 45 crores. The judgment of the Supreme Court made it clear that there was no other power available with the State Government under which it could levy tax on entry of sugarcane into a factory and the State Government could not, therefore, retain the cess already collected by them by any other legislative measure. The plea of limitation was also of no avail to the State Government as there was authority for the proposition that the period of limitation runs from the date when the mistake is discovered, which, in this case, was 13th December, 1960 when the judgment of the Supreme Court was delivered.

The Government of U.P., therefore, approached the Central Government for intervening in the matter. After taking into account all the above points as also the fact that the amount involved was very large and that if its refund had been allowed, the benefit of refund would have gone to the sugarcane factory owners and not to the consumers of sugar from whom the cess had already been recovered, the Central Government decided to take steps to validate the past levies and collections of cesses by them. As interested parties were likely to file suits immediately for refund of the cess collected by the State Government, it was necessary to take immediate action for safeguarding the revenues and since Parliament was not in session at that time, the President was pleased to promulgate an Ordinance, namely the U.P. Sugarcane Cess (Validation) Ordinance, 1961. The Ordinance, which was enforced from 3rd February, 1961 seeks to validate the levy and collection of

[Dr. B. Gopala Reddi]

cess on sugarcane by U.P. Government from 26th January, 1960 up to the date of the commencement of the Ordinance.

The present Bill seeks to replace the above Ordinance by an Act of Parliament I trust that the House would be one with me if I say that urgent intervention by the Centre was necessary in this case, and I trust the House will unanimously accept the Bill.

Sir, I move.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to validate the imposition and collection of cesses on sugarcane under certain Acts of Uttar Pradesh, be taken into consideration."

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि हर ऐसे समय पर जब कभी जन-हित में कोई काम सरकार को करना हो या जन-हित में किसी काम को करने के लिये सरकार को बाध्य कर दिया जाता है, क्यों जरूरत महसूस होती है कि आर्डिनेंस बना कर ही उस काम को किया जाये ? अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि १३ दिसम्बर, को जब कि पिछला अधिवेशन लोक सभा का चल रहा था और सरकार को पता लग गया था कि वे विभिन्न कानून जिन के द्वारा उत्तर प्रदेश में यह गन्ना उप-कर वसूल किया जाता था गैर कानूनी करार दे दिये गये हैं, तो क्यों नहीं सरकार ने उसी अधिवेशन में कोई कानून इस सदन के सम्मुख रखा ? उसके बाद भी अधिवेशन चलता रहा और सरकार को पता भी लग गया था कि वे भिन्न भिन्न कानून जिन के द्वारा उत्तर प्रदेश में यह गन्ना उप-कर वसूल किया जाता था, गैर कानूनी करार दे दिये गये हैं लेकिन फिर भी कोई कानून सरकार ने इस सदन के सामने पेश नहीं किया। तभी इस संसद् में यह प्रश्न उठाया गया था काम-रोको प्रस्तावों के द्वारा तथा अन्य दूसरे तरीकों से और पूछा गया था कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है। इस के उत्तर में सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं और हम को उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में सलाह मशिवरा करना है। मुझे खुशी है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को तथा केन्द्र की सरकार को यह आभास हुआ कि यह ४५ करोड़ रुपया जो कि शक्कर उपभोगताओं ने दिया है और जिस को गन्ना मिलों के मालिक हज्म करना चाहते थे, उन को उसे हज्म न करने दिया जाये और इस के बारे में उचित व्यवस्था कर दी जाये। इसी चीज को ध्यान में रख कर उस ने आर्डिनेंस जारी किया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि १३ दिसम्बर के बाद भी जब संसद् का अधिवेशन चल रहा था सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि कोई कानून बनाया जाये। अगर उस ने तब कोई कानून यहां पस्थित किया होता तो इस आर्डिनेंस की जरूरत न पड़ती।

प्रश्न केवल इतना नहीं है कि ये जो तीन एक्ट हैं जिन के बारे में इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि उन में जो व्यवस्थायें हैं, वे कानूनी हो जायें। यह पिछले दस साल से अमल में थीं, और पिछले दस साल से अमल में रहते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार या केन्द्रीय सरकार को यह क्यों पता नहीं लग पाया कि जिस एंट्री के मातहत ये एक्ट बनाये गये हैं, वह एंट्री शायद राज्य सरकार का विषय नहीं है। और इस के लिये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आवश्यकता पड़ी जो कि साफ तौर से मालूम होता है कि यह

राज्य सरकार का विषय था ही नहीं । जिस कंट्री का हवाला दिया है माननीय मंत्री महोदय ने वह इस तरह है :

"Taxes on the entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein.".

मैं समझता हूं कि कोई भी आम तौर से कानून का ज्ञान रखने वाला इस बात को जान सकता था कि सम्भवत: राज्य सरकार इस तरह का कोई कानून गन्ने की बिक्री पर कर लगाने का नहीं बना सकती थी। और जब यह हालत थी तो मुझे आशंका होती है ।

15 hrs.

जहां तक इस सैस के कानूनी बनाने का सवाल है मैं पूरी तरह सरकार के साथ हूं और जो ४५ करोड़ रुपया शकर के उपभोक्ताओं से मिला है वह सरकार के पास रहना चाहिये, वह मिल मालिकों की जेब में नहीं जाना चाहिये । लेकिन मुझे आशंका है कि जब यह कानून बन जाये तो यह गन्ने का कर और किसी शक्ल में वसूल होता रहे और सम्बन्धित क्षेत्र की जिला परिषदें इस तरह का कोई कानून बना लें जिस से वह टैक्स वसूल कर सकें । नतीजा यह निकलेगा कि यह तो जितना उपकर वसूल किया जाता था जिस को सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कानूनी घोषित किया वह तो वसूल होता ही रहेगा, दूसरे और कर उस क्षेत्र में जिला परिषद् वसूल करने लगेगी । नतीजा यह होगा कि शकर और तेज हो जायेगी । हम देखते हैं कि जो शकर हम आज विदेशों को भेजना चाहते हैं वह हिन्दुस्तान में जिस भाव पर बिक रही है उस से आधे से भी कम दाम पर भेजना चाहते हैं । लेकिन उस शकर को हिन्दुस्तान के उपभोक्ता को कम दाम पर देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । और जब यह विधेयक कानून बनने जा रहा है तो सरकार को विचार करना चाहिये कि कोई ऐसी बात तो भविष्य में न होने पाये कि जिस से शकर के उत्पादन पर और कोई विशेष भार पड़े जिस से शकर और ज्यादा तेज हो जाये ।

इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । अभी जो गन्ने पर यह उपकर लगता था उस का मंशा था कि गन्ने का विकास हो, उस का मंशा था कि उस क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन के स्थान से कारखानों तक सड़कें बनायी जायें । यह रुपया उस पर लगना चाहिये था । मुझे अफसोस है कि केन्द्रीय सरकार ने यह भी नहीं देखा कि यह रुपया जिस उद्देश्य के लिये वसूल किया जा रहा है किसान से और शकर के उपभोक्ता से उस उद्देश्य के लिये लगाया गया है या नहीं । यह नहीं देखा गया कि उस रुपये से उस क्षेत्र में गन्ने का विकास किया गया या नहीं और उस के लिये सड़कें बनायी गयीं या नहीं । मुझे अफसोस है कि इस उद्देश्य के लिये यह रुपया खर्च नहीं किया गया । केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिये था कि जो गन्ने पर उपकर लगता है उसका सही इस्तेमाल उत्तर प्रदेश सरकार करती है या नहीं । भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाये कि कि जो इस तरह का कर भविष्य में वसूल किया जाय उस का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये हो जिस के लिये वह वसूल होता है, जैसे कि गन्ने के विकास के लिये, सड़कों के निर्माण के लिये या गन्ने के लिये कोई विशेष व्यवस्थायें करने के लिये । यदि इस कानून के द्वारा केन्द्रीय सरकार यह कर सके कि उत्तर प्रदेश की सरकार से यह करा सके कि यह रुपया किसी अन्य कार्य पर खर्च न किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

इस बीच में यह आशंकायें प्रकट की जा रही थीं कि शकर मिलों के मालिक इस ४५ करोड़ रुपये को जो कि शकर के उपभोक्ता

[श्री ब्रज राज सिंह]

से वसूल हो चुका था, सरकार की जेब से निकाल कर अपनी जेब में हड़प करना चाहते थे और इस के लिये कई तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन खुशी है कि भारत की संसद् में प्रश्नों के उठाने से देश में प्रभाव पड़ा। पिछले अधिवेशन में प्रश्न हुए थे और इसलिये उत्तर प्रदेश की सरकार भी डरी। यह चर्चा एक समय शुरू हो गई थी कि इस ४५ करोड़ रुपये को इधर उधर करके किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव फंड में लगा दिया जाय लेकिन खुशी है कि यह चीज पूरी न हो सकी। लेकिन अच्छा होता यदि इस के लिये आर्डिनेंस की जरूरत न होती। अगर हम को अपने जनतन्त्र को सफल बनाना है तो हम को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम को कम से कम आर्डिनेंस बनाने की जरूरत हो। यह कोशिश करनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा मामले संपद् के समाने ही आ जायें। यह बहाना न किया जाये कि संसद् का अधिवेशन नहीं हो रहा था इसलिये हमें आर्डिनस बनाने की जरूतर पड़ी। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जिन विषयों पर जरूरत हो उन को संपद् के सामने जब अधिवेशन चल रहा हो तो लाया जाय और कानून बनवाया जाय। यह न होना चाहिये कि जब संसद् न चल रही हो तो सरकार आर्डिनेंस जारी करे।

कहा जाता है कि ऐसे मसलों पर विचार करने के लिये सरकार को समय चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार को समय चाहिये तो जो सरकार के विशेषज्ञ हैं उनको पहले से यह देखना चाहिये किसी कानून में ऐसी कमी तो नहीं है कि वह गैर-कानूनी घोषित हो जाये। और अगर ऐसी सम्भावना है तो उस विषय को संसद् के सामने रखना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोशिश होनी चाहिये कि आर्डिनेन्स बनाने की जरूरत ही न रहे। यह कानून पिछले अधिवेशन में पास हो जाना चाहिये था जिस से कि जनता को किसी तरह की आशंका करने की गुंजाइश ही न रहती। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में काम से कम आर्डिनेन्स जारी किये जायेंगे और इस तरह की व्यवस्था की जायेगी कि आर्डिनेन्स पास करने की जरूरत ही न हो। जब अधिवेशन चालू हो तो सारे मसले सदन के सामने रखे जायें और सारे कानून समय रहते सदन की राय ले कर बना लिये जायें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। १३ दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सन् ५६ का जो विधेयक उत्तर प्रदेश ने पास कि वह ठीक नहीं था, उस को वैसा करने का हक नहीं था और मरकजी सरकार को ही ऐसा करने का हक है और वही इस तरह का कानून पास कर सकती है और इस तरह का सेस वसूल कर सकती है। जब कामरोको प्रस्ताव द्वारा मंत्री महोदय से मैं ने इसरार किया कि मरकजी सरकार को कोई ऐसा कानून लागू करना चाहिये कि जिस से करोड़ों रुपया सैस का जो उत्तर प्रदेश सरकार मेंनिर्माण के कार्य में लग सकता है वह सरमायेदारों की जेबों में न चला जाये, तो पाटिल साहब ने, जो उस वक्त मौजूद थे, कहा था :

"Shri S. K. Patil: Now, the point is that the judgment was delivered only yesterday. We are in connection with the State Government as to what are going to be the repercussions. The c ess comes to somewhere about Rs. 5 crores per year. Therefore, for the last two or three years over which this Act has been operating, it might have come to Rs. 10 crores or Rs. 15 crores.

Shri Braj Raj Singh: Rs. 25 crores.

Shri S. K. Patil: May be.'

उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल हाल ही ही में २१ फरवरी को सदन में पूछा गया था। सवाल इस प्रकार था :

"Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether any step has been taken by the Centre to get the cane cess amount in U.P. realised after the U.P. Cane Cess Act has been declared invalid by the Supreme Court;

(b) the amount due from the mill-owners in U.P.; and

(c) whether any legislation is likely to be introduced?".

इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार था :

"(a) The Central Government promulgated on 30th January, 1961 an Ordinance validating the imposition and collection of cane cess by the U.P. Government from 26th January, 1950 to the 3rd February, 1961. As regards the future, the State Government has taken necessary steps within the powers available to it.

(b) According to information received from the U.P. Government, the arrears of cane cess on 31st December, 1960 were Rs 367·86 lakhs.".

इस के मानी यह हुए कि तकरीबन साढ़े ३ करोड़ या ३ करोड़ ६७ लाख रुपया बतौर सैस के उत्तर प्रदेश के चीनी मिलमालिकों से हासिल करना बाकी है। इस बिधेयक के आब्जैक्ट्स में यह कहा गया है :—

"This decision of the Supreme Court invalidates the levy and collection of cesses on sugarcane by the U.P. Government under that Act. The total cess collected by the U.P. Government on sugarcane since 1950 runs to about 45 crores of rupees".

यह केन सेस का पैसा इतना बाकी है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि इस में साफ तरीके से कहा गया है कि जो कुछ भी २६ जनवरी, सन् १९५० से लेकर ३ फरवरी, १९६१ तक जो कुछ भी पैसा बकाया है उस के बारे में बिल में यह कहा गया है : —

"No suit or other proceeding shall be maintained or continued in any court for the refund of any cess paid under any State Act;

"No court shall enforce a decree or order directing the refund of any cess paid under any State Act".

उससे साफ जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत का मुद्दा यह है कि इस पैसे के बारे में कोई अपील अगर हुई भी हो और उत्तर प्रदेश में अगर हाई कोर्ट के आला हाकिम यह सोचते भी हों कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह पैसा उन्हें वापिस मिलना चाहिये तो उसको इसमें रोका गया है और जो कि मैं समझता हूं ठीक है। लेकिन आज यह केन सैस का पैसा है कितना ? उत्तर प्रदेश के लोगों से हमें मालूम होता है कि यह रुपया हमेशा वहां के मिलमालिक रोकते थे। वह पैसा देते नहीं थे। इससे साफ जाहिर यह हुआ कि अपनी मरजी से वह पैसा देते नहीं थे और कोशिश यह करते थे कि किसी हालत से कचहरी की मार्फत ऐसे कानून को जो कि सन् १९५६ में पास किया गया था उसको रद्द कर दिया जाये। बहुत से ऐसे कारखाने चीनी के उत्तर प्रदेश में हैं जो कि केन सैस का पैसा सरकार को नहीं भेजना चाहते। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आखिर कितना करोड़ रुपया आज भी बकाया है ? क्या वह वाकई

[श्री म० मो० बनर्जी]

में ३ करोड़ ६७ लाख है जैसा कि उन्होंने २१ फरवरी को बतलाया था कि इतना पैसा बकाया है ? या इससे भी ज्यादा है ? और कितने लोगों ने उसको वापिस लेने के लिए आलरैडी अपील कर दी थी ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या फैसला किया है ? इस केन सैस के पैसे से आखिर क्या किया जायेगा ? मुझे जहां तक मालूम है हो सकता है कि मेरी नासमझी हो या मुझे गलत इत्तिला मिली हो बहरहाल जो भी हो मेरी इत्तिला यह है कि केन सैस के पैसे से उत्तर प्रदेश की उस राजनैतिक पार्टी को जो कि बरसेरे इक्तदार है उसको चन्दा दिया गया । चन्दा देने के बारे में इस सदन में काफी बहस हुई और कहा यह गया कि यह कोई खास ऐसी चीज नहीं है जिस पर कि लोगों को ऐतराज करना चाहिए । लेकिन यह शुगर केन का पैसा जो करोड़ों की शकल में उत्तरप्रदेश की सरकार के हाथों में आया करता है और हमेशा आता रहेगा इसका आखिर इस्तेमाल क्या किया गया ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह चीनी के उद्योगपति उस पैसे की जो कि वाकई बनता हो उसको अपील करवा कर कम करवा लेते हों और उसके ऐवज में वह रूलिंग पार्टी को चन्दा दे देते हों क्योंकि ऐक्ट में यह प्राविजन है कि उसके बारे में उत्तरप्रदेश सरकार का डैसीशन फाइनल होगा । इस चीज को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो बकाया हासिल करने का कानून बना है वह स्वागत योग्य है और मैं आशा करता हूं कि इससे ४५ करोड़ रुपया ही नहीं महफूज होगा बल्कि और भी पैसा जो कि बाकी है वह भी महफूज रहेगा और उत्तरप्रदेश की सरकार के पास रहेगा । इसलिए मेरे सामने यह कुछ सवालात हैं जिनके कि आधार पर मैं पूछना चाहता हूं कि यह पैसा कितना है और यह हमेशा सन् १९५७–५८ से एरियर्स में क्यों रहा ? कुछ सवालात पार्लियामेंट में मैंने करने की कोशिश की । कुछ मंजूर हुए और कुछ नामंजूर कर दिये गये । लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमेशा केन सैस का पैसा मिल-मालिकों की जेब से निकल कर सरकार के हाथों में बहुत मुश्किल से आया है । अब उन्होंने कुछ पैसा दिया है जिससे कि लोगों के दिमाग में जरा भ्रम हो गया है जो कि मैं उत्तर प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते दूर करना चाहता हूं । कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश की रूलिंग पार्टी और चीनी मिल-मालिकों के बीच में एक समझौता सा एक साठगांठ हो गई हो कि यह पैसा चन्दे की शकल में जाकर कुछ बाकी पैसा वह खुद इस्तेमाल करें ?

एक सवाल यह भी हमारे सामने है कि यह बिल जब कानून बन जायेगा तो इसका असर खंडसारी उद्योग पर जो गुड़ और राब बनाते हैं उन पर भी पड़ेगा । इसलिये उनके ऊपर कितना पैसा ड्यू है कितना बकाया है यह भी मैं जानना चाहता हूं ? अब अगर वह पैसा उनसे लेने की कोशिश की जायेगी तो यह आखिर शूगर के कारखानों के मालिकान हैं वे तो करोड़पति हैं लेकिन यह राब, खंडसारी और गुड़ की इंडस्ट्रीज वाले जो कि करोड़-पति नहीं होते और इन छोटे उद्योगों के मालिकों के सामने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं । इसके लिए मैं चाहता हूं कि यह सैस की रकम उनसे इस तरीके से वसूल की जाय जिससे उनको परेशानी न हो । उनकी दिक्कतों को हल करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है ? मैं यह नहीं कहता कि यह पैसा जो उन पर वाजिब आता है वह वसूल न किया जाय लेकिन जो वसूल करने में दिक्कतें आई हैं या छोटे उद्योग वालों को पैसा देने में जो दिक्कतें आती हैं उस बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सके ।

अन्त में मैं इस बिल का स्वागत करते हुए कहूंगा कि यह देखा जाय कि यह शुगरकेन सैस का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल हो, किस तरीके से हमेशा यह बकाया रहा और किस तरीके से आगे यह इस्तेमाल किया जाय। अब मरकजी हुकूमत जो इस मामले में सम्बन्धित है उसको इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि उत्तरप्रदेश की सरकार पर मुझे कोई भरोसा नहीं है लेकिन वहां पर जिस तरीके से चीजें चला करती हैं और खास कर वहां की पालिटिक्स को जैसा कि कहा जाता है कि वह शुगर पालिटिक्स है, केन्द्रीय सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए। अब उस शुगर पालिटिक्स में मिठास नहीं रही है और वहां जिस पालिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है मालूम ऐसा देता है कि वहां के शुगर मैग-नेट्स उनको अपने हाथों में रखना चाहते हैं और जिसका कि असर जनता के ऊपर खराब पड़ता है। इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं। भले ही इसके लाने में देरी हुई हो लेकिन सही चीज की गई है और इसलिए देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत चरितार्थ हुई है। मैं इस बिल का एक बार फिर स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : उपा-ध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह बिल इस प्रकार का है जिसका कि सब स्वागत करेंगे। लेकिन हमारे विरोधी दल के भाइयों द्वारा कई बातें कही गई हैं यह इस बात का सबूत है कि सैस के सम्बन्ध में उन्हें पूरी बातें मालूम नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही कैसे हुआ ? अगर उधर से सख्ती न हुई होती उसको वसूल करने के बारे में मिलमाबिलक सिर्फ देर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गये थे। मैं आपको एनफौरमेंशन की तौर पर बतलाना चाहता हूं कि सैस ही एक ऐसी चीज है जिसमें पडरौना और कठकुइया शुगर मिल्स नीलाम हो चुकी हैं और सैस की वजह से राम लक्ष्मण, डोई वाला और खड्डा शुगर मिल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं।

अब हमारे विरोधी दल के भाइयों ने चन्दे की बात कही है तो चन्दा उनको भी मिलता है। आज चन्दे की बात तो हो ही नहीं रही है सैस की बात हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, चीज यह है कि आज जो स्पीचें यहां हुईं उनको सुन कर ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे आम जल्सों में स्पीचें दी जा रही हों। मैं चाहता हूं कि यहां हाउस में स्पीच देने से पहले बेहतर यह हो कि असलियत का पता लगा लिया जाय और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही यहां पर कोई बात का दावा किया जाय। सैस और लैंड रेवेन्यू दोनों एक ही तरह के हैं। ऐक्ट में है कि यह सैस जनरल रेवेन्यु का पार्ट है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश की कोई भी राजनैतिक पार्टी लगान से चन्दा वसूल कर सकती है। लैंड रेवेन्यु चन्दे के लिए नहीं है। उसके लिए कोई इस तरीके की बारगेनिंग भी नहीं होती है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हमारे श्री ब्रजराज सिंह ने यह बात कही कि साहब यह सैस वसूल करना बहुत अच्छा है लेकिन आगे चल कर यदि यह सैस लिया जाय तो उसमें उनको यह अन्देशा मालूम पड़ता है कि उससे चीनी ज्यादा मंहगी हो जायेगी। इसका मतलब यह है कि वह इसके पक्ष में भी हैं और विरोध में भी हैं। सैस केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि बिहार और अन्य प्रान्तों में भी है। पंजाब में अभी तक नहीं था लेकिन वह प्रदेश भी इस तरह का सैस लगाने की बात सोच रहा है

[श्री काशीनाथ पांडे]

शुगर इंडस्ट्री को डेवलप करना यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उसके लिए बड़ा भारी स्टाफ रखना होता है । उसके लिए सीड्स मंगाते हैं । कई केन रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पर बीजों के बारे में अन्वेषण होता है । यह सारा खर्च कहां से आयेगा ? कौन देगा इसको ? यह सब खर्च उस सैस से होता है । आज कोई भी शुगर फैक्ट्री यू० पी० में नहीं है, जिसके कि इर्द गिर्द पक्की सड़कें नहीं बनी हैं । माननीय सदस्य को यह समझाना चाहिए कि पक्की सड़कें बनाना प्लान का एक काम है और उसके अन्तर्गत वे बन भी रही हैं । प्रश्न यह है कि अगर सैस का धन खर्च नहीं हुआ, तो वह कहां गया ? माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते कि सैस के उस रुपये को किसी इंडिविडुअल ने खा लिया । आखिर वह कहीं न कहीं किसी पब्लिक काम में खर्च हुआ । जब रुपये की जरूरत हुई, तो उस फंड को किसी न किसी काम में लगाया गया । वह किसी इंडिविडुअल ने, किसी चीफ़ मिनिस्टर ने, नहीं खा लिया ।

मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, खास तौर से इस वजह से कि बहुत सी मिलों ने पूरा सैस दे दिया, लेकिन जो मिलें देना नहीं चाहती थीं, वे कोर्ट में जाकर इसमें अड़ंगा लगा रही थीं और उन लोगों की ऐसी आदत को तोड़ने के लिए इस बात की आवश्यकता थी कि इस बिल को विद रीट्रास्पेक्टिव इफ़ैक्ट लागू किया जाये, ताकि उन को सबक हो जाये कि यदि वे गवर्नमेंट के ड्यूज दबाने की कोशिश करेंगे तो वे उन को हजम नहीं कर सकेंगे, बल्कि गवर्नमेंट कोई न कोई उपाय लगा कर उन ड्यूज को वसूल कर लेगी ।

यह बिल इसलिये भी जरूरी है कि बिहार में जो केन सैस वसूल होता है, वह कैसे वैलिडेट हो, उसके लिये कानून की आवश्यकता थी । जो कोई भी रेवेन्यु वसूल होता है, उसी से कोई भी सरकार चलती है । अगर कोई माननीय सदस्य यह समझें कि आगे सैस लगाने से चीनी महंगी हो जायगी, तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहां इंडस्ट्री भी नहीं ठहर सकेगी । केन सैस देना किसान के फ़ायदे में है, क्योंकि यहां पर यह इंडस्ट्री चलती है, तभी वह गन्ने का क्राप बोता है और अगर यहां फैक्ट्रीज न चलें, तो फिर उस गन्ने का गुड़ ही बनेगा और परिणाम यह होगा कि इतना गन्ना भी नहीं लगाया जा सकेगा और चीनी इम्पोर्ट होगी, जैसा कि पहले होता था । इसलिये किसान, पब्लिक, मिल-मालिक और उपभोक्ताओं के फ़ायदे के लिये यह ज़रूरी है कि इस तरह का सैस ज़रूर लगना चाहिये । इस वक्त तो वह वसूल होने जा ही रहा है । मैं तो इसके हक में हूं कि उसको आगे भी वसूल करना चाहिए । जो मिल-मालिक जिस पैसे को ले चुके हैं, उसको पब्लिक के काम के लिये लिया जाये । इसका विरोध करना अच्छा नहीं है । यह बात कहने का कोई अर्थ नहीं है कि इससे चीनी और महंगी हो जायेगी । और चीजें भी महंगी हैं, तो चीनी भी महंगी होगी । यह नहीं हो सकता कि चीनी न महंगी हो । इसलिये किसानों के हित के लिये, उत्पादन बढ़ाने के लिये, रास्ते आदि बनाने के लिये, केन का डेवलपमेंट करने के लिये और किसान को उन्नत और हर तरह से सुखी करने के लिये इस सैस का वसूल करना आवश्यक है ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य ने अभी अपने भाषण के दौरान में कहा है कि विरोधी दल के सदस्य कभी कभी जिस तरीके से बाहर भाषण देते हैं, उस से भिन्न बातें यहां कहते हैं । मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यहां पर एक तरीके

का और बाहर दूसरे तरीके का भाषण देते हैं। क्या वह दो जबान से बात करते हैं ? सर, इट इज एन एस्पर्शन ।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आर्डिनेंस का सदुपयोग सब से अच्छे काम के लिये कभी हुआ है, तो वह उस अवसर पर जब यू० पी० सैस एक्ट के वैलिडेशन के लिये यह आर्डिनेंस लगाया गया । अभी विरोधी दल के एक समाजवादी सदस्य ने कहा है कि वह इस बिल और आर्डिनेंस का स्वागत तो करते हैं, लेकिन आर्डिनेंस क्यों जारी किया गया, क्यों नहीं बिल पहले से लाया गया । इस बारे में वह एतराज करते हैं । मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस का मतलब ही यह है कि जब किसी बहुत ही आवश्यक राष्ट्रीय काम, या सामाजिक हित के काम के लिये पूरा अवसर और पूरा समय न हो, तो उस वक्त आर्डिनेंस लागू किया जाये । इस दृष्टिकोण से जब सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों रुपये के बारे-न्यारे का प्रश्न उठा और उस के बारे में निर्णय हुआ और उस के कारण न सिर्फ़ यू० पी०, बल्कि भारत के अन्य प्रान्तों के शूगरकेन सैस के सम्बन्ध में बहुत असर पड़ने वाला था, तो उस के बारे में आर्डिनेंस तुरन्त जारी करना अत्यन्त आवश्यक था ।

15.27 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

दूसरी बात यह है कि यह शूगर फ़ैक्ट्रीज का क्रशिंग सीजन है और अगर इस में देरी करें, तो हो सकता है कि दूसरे सूबों वाले इसी तरह इंजंक्शन और रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल करें और अपने फ़ायदे के लिय किसानों के हितों की उपेक्षा करें और कोई कानूनी दृष्टिकोण और कानूनी बातें निकालें । इसलिये आर्डिनेंस का जारी किया जाना गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिय तो लाभकारी है ही, साथ ही देश के हित के लिए और खती की तरक्की के लिए उस से जो लाभ उठाया जाता है, उस के लिय भी यह लाभप्रद हुआ है ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि यह बिल पहले क्यों नहीं लाया गया, यह ठीक है कि हमारी एक प्रदेशीय सरकार ने एक एक्ट पास किया था और जब यह सवाल उठा था कि उस को रद्द किया जाय, तब इस आर्डिनेंस की बात उठी थी । यह बात पहले ही तो नहीं सोची जाती कि जो एक्ट हम पास कर रहे हैं, उस में कोई नुक्स होगा । सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के दिमाग़ तो हम नहीं जानते । यह संसद् इसलिय है कि वह देश के हित के लिये कानून बनाये और वह बनाती है । पूरी समझ-बूझ के साथ यहां पर कानून पास किये जाते हैं । चाहे प्रदेश असेम्बली हो और चाहे इस सदन का प्रश्न हो, अपने अच्छे से अच्छे दिमाग़ से और अच्छे से अच्छे तर्कों से बिल पास किये जाते हैं । जिस समय माननीय सदस्य अपना कोई कानन पेश करते समय वाद-विवाद और बहस-मुबाहसा करते है, उस वक्त यही समझा जाता है कि वे अपने अच्छे से अच्छे दिमाग़ का प्रयोग कर रहे हैं और तब वह कानून पास किया जाता है । हमारे विधान ने जो जूडिशरी बनाई है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है और वह अपने दिमाग़ और मस्तिष्क को और कानूनी ज्ञान और बारीकियों को विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल करती है और इस प्रकार कानून की कमजोरियां निकालती है । इस अवस्था में पहले से ही यह सोच लेना सम्भव नहीं है कि अमुक कानून में ये कमजोरियां हैं और वह रद्द हो जायगा । जब हमारा एक कानून रद्द किया गया, तो फिर आर्डिनेंस की जरूरत पड़ी । उस समय आर्डिनेंस लागू कर दिया गया और अब यह बिल सदन के सामने आ गया है ।

श्री ब्रज राज सिंह : सवाल यह है कि १३ तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ और २३ तारीख तक लोक सभा चलती रही। इन दस दिनों में लोक सभा के पिछले अधिवेशन में यह कानून आ सकता था और पास किया जा सकता था। इस प्रकार इस आर्डिनेंस की आवश्यकता न रहती।

श्री विश्वनाथ राय : अगर इस सम्बन्ध में जल्दी की जाती, तो वही कमजोरी इस बिल में भी आ सकती थी, जिस की वजह से यू० पी० का एक्ट रद्द हुआ। कानून कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कोई लैक्चर दे दिया। विभिन्न दृष्टिकोणों से देख कर उस को तैयार किया जाता है। हमारे माननीय सदस्य स्वयं वकील हैं। वह जानते हैं कि एक मामूली केस को तैयार करने के लिये कितनी तैयारी करनी पड़ती है। जहां करोड़ों रुपये की बात हो, वहां बारीकी से सोच कर ही कानून पेश करना पड़ता है। इसलिये इस विषय में विशेष रूप से सचेत होने की आवश्यकता थी। अगर केवल दो चार लाख रुपये की बात होती, तो कोई हर्ज नहीं था। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस से कुछ सरकार को पहले प्लान में ३०.५७ करोड़ रुपये मिले। चाहे उस में से बाकी रह गया हो, यह बात दूसरी है। दूसरे प्लान में ४८.०७ करोड़ रुपये मिलने वाले हैं—जो मिल चुके हैं। सिर्फ कुछ ही बाकी हैं, वे मिलेंगे। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में नौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा करीब करीब हर साल इस शूगरकेन सैस से सरकार को मिलना था। सरकार को मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह ट्रेजरी में जाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति यह रही है कि उस रुपये का ज्यादा हिस्सा गन्ना बोने वाले लोगों के हित के लिये और कृषि के हित के लिये इस्तेमाल किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं विशेषकर विरोधी बेंचों के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज नहीं, १९५७–५८ के क्रशिंग सीजन की बात है, जब कि हिन्दुस्तान में गन्ने की खती करने वाले किसानों की सब से बड़ी हड़ताल अठारह दिन तक एक फैक्ट्री के खिलाफ चलाई गई थीं। संयोग से मैं उसकी देखरेख कर रहा था। उसी वक्त यू० पी० सरकार ने यह आश्वासन दिया कि किसानों की मांगों के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा और उचित प्रबन्ध किया जायेगा। और भी लोगों ने अपने तरीके से काम किया होगा, लेकिन यह सही है कि श्री केशवदेव मालवीय, जो इस समय यहां पर मिनिस्टर हैं, उस समय वहां इन्डस्ट्रीज के मिनिस्टर थे और उन्होंने लिखित रूप में यह कहा था कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर के सरकार कोई निश्चय करेगी और तब वह हड़ताल खत्म हुई। बाद में यह सैस एक्ट वहां लागू हुआ और यह तय हुआ कि हमारे जो चौदह प्वायंट्स थे जैसे सिंचाई, सड़कें, किसानों के रहने के लिये जगह आदि उन पर अमल किया जाये। मेरा तात्पर्य यह है कि यह बात नहीं है कि यह रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जा कर और कामों में खर्च होता है। वह विशेषकर किसानों के लिये खर्च किया जाता है। यह सही है कि सारा रुपया नहीं किया जाता है, उसका कुछ अंश किया जाता है।

इसी के सम्बन्ध में हमारे विरोधी बैंच पर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि इस रुपये में से रूलिंग पार्टी को चन्दे ने तौर पर दिया जाता है . .

श्री स० मो० बनर्जी : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि इसमें से कुछ हिस्सा दिया जायेगा, कुछ लोग देते हैं।

श्री विश्वनाथ राय : इसका कुछ हिस्सा ही सही, मैं एक रुपया दिया जाता है, यह मान कर चलने के लिये तैयार हूं। हमारे

माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि एक एक सेर का भी हिसाब रहता है और इसका भी हिसाब रहता है कि इतना केन फैक्टरी ने खरीदा है और इतने रुपये फी मन के हिसाब से सैस उस पर लगना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साईज डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वे वहां रहते हैं, शूगर केन की परचेज को वे देखते हैं, हमेशा ही नहीं लेकिन अक्सर देखते हैं। चीनी के उत्पादन को भी वे देखते हैं। माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि यह सरकारी रकम है और सरकारी रकम को चन्दे ने के रूप में किसी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है। हां ऐसा हो सकता है कि जब फैक्टरी को मुनाफा होता है तो वह उसमें से चन्दा किसी पार्टी को चाहे तो देदे। यह कहना कि कैन सैस का पैसा चन्दे के रूप में द दिया जाता है, मैं समझता हूं निर्थक तर्क है और ऐसा तर्क है जो कानून की दृष्टि से बिल्कुल असत्य है . . .

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मैं इस मामले को साफ तौर से कह सकता हू। बात यह है कि केन सैस वे देते नहीं और जब उनसे इस पैसे की मांग की जाती है तो वे कहते हैं कि चन्दा ले लो और चले जाओ। सैस का रुपया मत मांगो। मैं हिन्दी में बोल रहा हूं और माननीय सदस्य इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

श्री विश्वनाथ राय : माननीय सदस्य जब इंगलिश में भी बोलते हैं तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। कठिन इंगलिश उनकी जो होती है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सम्भव है कि उनको इंग्लिश की जानकारी ज्यादा हो और इस वजह से हिन्दी में अपनी बात कहने में वह गलती कर जाते हों।

मैं मानता हूं कि पार्टीज को चन्दा दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। लेकिन चन्दे की रकम केन सैस में से नहीं दी जा सकती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि केन सैस न दे पाने के कारण दो तीन फैक्ट्रियों के प्रोप्राइटर्ज बदल गये हैं। जहां तक चन्दे लेने का सम्बन्ध है, सोसलिस्ट पार्टी भी लेती है और दूसरी पार्टीज भी लेती हैं। फर्क इतना है कि रूलिंग पार्टी जो चन्दा लेती है, उसको बतलाने में झिझकती नहीं है जब कि दूसरी पार्टियां चन्दे लेती भी हैं और साथ ही साथ उनको छिपाती भी हैं। ऐसा करके वे समाज को अन्धकार में रखना चाहती हैं। असलियत यह है कि ये जो चन्दे दिये जाते हैं ये केन-सैस में से नहीं दिये जाते बल्कि जो नफा होता है फैक्ट्रीज को उसमें से दिये जाते हैं।

सैस की वसूली की बात यहां कही गयी है। मैंने फैक्ट्रीज को सैस का रुपया न देने के कारण नीलाम होते देखा है और नीलामी के बाद दो दो और तीन तीन प्रोप्राइटर्ज के हाथों जाते देखा है . .

श्री ब्रज राज सिंह : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये उत्तर प्रदेश के कानून में जो व्यवस्था है उसको पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"Provided further that the Provincial Government may by notification remit in whole or in part such cess in respect of sugarcane used or intended to be used in a factory for any purpose specified in such notification."

जब राज्य सरकार माफ कर सकती है तो उसके बदले में वह चन्दा भी ले सकती है।

Mr. Chairman: If the hon. Member does not yield, I think he will be much less interrupted. But he continues to yield.

An Hon. Member: He cannot reply to the facts . . . (*Interruptions.*)

श्री विश्वनाथ राय : अन्तर इतना ही है कि सभी चन्दे लेते हैं लेकिन कुछ हैं जो

[श्री विश्वनाथ राय]

इस चीज को छिपाते नहीं हैं जब कि दूसरे छिपाते हैं । लेकिन ये चन्दे सरकारी पैसे में से नहीं दिये जाते हैं ।

सवाल यह पैदा होता है कि जब सैस वसूल नहीं होता है तो क्या किया जाए ? क्या सैस इस वास्ते वसूल नहीं होता है कि चन्दे दे दिये जाते हैं या इसके कोई और कारण होते हैं ? चन्दे का सवाल अलग है और उसका सैस से कोई ताल्लुक नहीं है । अब सवाल इतना रह जाता है कि जब सैस वसूल नहीं होता है तो क्या किया जाना चाहिये । जब जबर्दस्ती सैस वसूल करने की बात आती है तो फैक्ट्री के बन्द होने का खतरा पैदा हो जाता है । जब फैक्ट्री बन्द होने लगती है तो न केवल हमें प्रोप्राइटर्ज का ध्यान रखना होता है बल्कि उसमें जो हजार डेढ़ हजार श्रमिक काम करते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही साथ हर फैक्ट्री में जो लाख डेढ़ लाख आदमी ऐसे होते हैं जो गन्ना बोते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखना होता है । केन-सैस की वसूली के लिए अगर फैक्टरी को बन्द किया जाता है तो इसका नतीजा यह भी होता है कि जो ये लाख डेढ़ लाख गन्ना बोने वाले हैं, उनको भी नुकसान होता है । शुगर का जो उत्पादन बन्द होता है वह अलग से सोचने वाली बात हो जाती है । इस वास्ते फैक्ट्री को बन्द करना लास्ट स्टैप होता है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो सैस है उसको वसूल न किया जाए । वह वसूल तो होना ही चाहिये लेकिन उसके और कई तरीके हो सकते हैं । मुझे एक फैक्ट्री के बारे में पता है जिसका प्रोप्राइटर पाकिस्तान चला गया और उसका जो शेयर था उसमें से पैसा वसूल किया गया । वह फैक्ट्री दूसरे के हाथ में चली गई है । समय नहीं है कि मैं ऐसे केसिज को बता सकूं नहीं तो मैं आपको कई केसिज बताता हूं ।

इस सैस के वैलीडेशन के लिए जो कानून सरकार की तरफ से पेश किया गया है, यह कृषकों के लाभ के लिए है, समाज के लाभ के लिए है । तीसरे प्लान में लगभग ६० करोड़ रुपया केन-सैस के द्वारा गवर्नमेंट को मिलेगा । उत्तर प्रदेश, बिहार और आन्ध्र प्रदेश इत्यादि में जो शगर फैक्ट्रीज हैं वहां से यह रुपया सरकार को प्राप्त होगा । इसलिए जो बिल आया है, उसका स्वागत होना चाहिये । साथ ही साथ जो यह कर है इसकी वसूली में जैसे हमारे विरोधी सदस्य चाहते हैं, सख्ती होगी । लेकिन सख्ती का मतलब यह नहीं है कि शूगर फैक्ट्रीज को ही बन्द कर दिया जाए । इसकी वसूली के और भी तरीके हो सकते हैं और वे अपनाये जायेंगे । चन्दे वाली जो बात है या दूसरी जो बातें हैं, वे पैदा नहीं होती है । प्रदेश सरकार के हाथ में वसूली की बात अब नहीं रह जाएगी । अब तो केन्द्रीय सरकार का यह एक्ट होगा और उसमें केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होगा । इस वास्ते विरोधी बैंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों के दिलों में ऐसी कोई आशंकायें नहीं होनी चाहियें कि यह वसूल नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

Shri Chintamoni Panigrahi (Puri): The Statement of Objects and Reasons says:

> "The total cess collected by the U.P. Government on sugarcane since 1950 runs to about 45 crores of rupees. Unless the cess levied and collected under the impugned Act is validated, the U.P. Government would have to refund the entire amount of the cess so levied and collected."

All the State Governments need more money at this stage and so we should welcome a measure like this. But we need certain clarification from the hon. Minister. Of course the hon.

Minister, Mr. Gopala Reddi, will not be in a position to give figures about collection of party funds, which can be given by Shri Bishwanatha Roy or other hon. Members from Uttar Pradesh exactly. But that is not the point of contention.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): When it becomes part of the General Revenues, I do not know how it can be said that it goes to party funds.

Shri Chintamoni Panigrahi: I am not going into that point—it is to be debated between members of U.P. . . . (*Interruptions.*)

Shri Braj Raj Singh: I quoted the law.

Mr. Chairman: The matter has been clearly stated by both sides and so the conclusions can be drawn by others. Let him continue.

Shri Chintamoni Panigrahi: I read an article written by Shri S. K. Patil on yield of cane; it is the lowest in U.P. He says that in 1958-59 the cane yield per acre in Andhra Pradesh is 8,180 lbs., in Mysore 6,227 lbs.; in Madras, 5,973 lbs.; in Bombay, 5,934 lbs.; in U.P., 2,580 lbs. Shri Biswanatha Roy was kind enough to give figures and say that the U.P. Government was going to get Rs. 60 crores.

Shri Bishwanath Roy: That is for the whole of India.

Shri Chintamoni Panigrahi: They have collected Rs. 45 crores. Have they spent this amount on improving the quality of the cane or in the research for increasing the cane yield? How have they spent this? The recovery of sugar from cane is also the lowest in U.P. We are glad that the Central Government has gone to the help of the Uttar Pradesh Government for the recovery of this money, and it is good. The Uttar Pradesh Government should feel obliged that the Central Government are coming to their help in this matter, to realise this sum of Rs. 45 crores. But we would like to know how far it has helped in increasing the recovery of sugar in the State and how far the Centre has helped them in increasing the production of sugarcane in that State. We are entitled to know that, and I hope Mr. Gopala Reddi, though he may not be able to supply this information by himself, may refer this to the Deputy Minister of Food and Agriculture who may like to speak on this, because he is more concerned with the yield per acre of sugar.

I want a clarification on one more point. Recently we read that the State Government of Uttar Pradesh have effected a remission in cane cess rate at the rate of six naye paise per maund of cane crushed in excess. We would like to know whether this Bill, which we are going to make into an Act, will apply to this remission. We would like to know whether this six naye paise will apply to that also. I think this point should be clarified by the hon. Minister.

Then, there is a clamour, as Shri Braj Raj Singh also pointed out, as to whether the cess on cane, charged as three annas per maund, is going to increase the cost of production of sugar. If it adds to the cost of production, that is a process by which the consumers in this country are not going to be benefited in the matter of a reasonably low price for sugar. Somebody from the Congress side stated that this is something which cannot be entertained, because people want to have more sugar and that naturally there must be a greater production of sugarcane, while, at the same time, they said that the people want to have sugar at a lesser cost. This, they said, was contradictory. But really there is no contradiction in it. The Tariff Commission also went into the question of this cess on

[Shri Chintamoni Panigrahi]

sugarcane. We would like to know to what extent this cess on sugarcane in Uttar Pradesh goes into the cost of production of sugar and whether the State Government is in a position to reduce this cess to give impetus to the millowners or the factory owners to increase sugar production in the State. It seems that perhaps this cess on sugarcane is adding to the cost of sugar as a whole in the country.

So, when allowing the Uttar Pradesh Government to collect all these levies and revenues which are due to the State, with a view to increase the yield per acre of sugar in the country and especially in Uttar Pradesh, we would like to know from the Minister as to how this amount is going to be utilised in the best possible way. So far as this Bill is concerned, I think that is the only major point that needs consideration. I hope the hon. Minister will give us a detailed answer to this question.

From a reading of the relevant clause on page 8 of the Bill, it seems that there was enough power given to the State Government so far as the collection of the cess is concerned. There is also a fine. All powers were there in the Uttar Pradesh Act itself. But even in spite of all these things, the money was not collected. If we refer to clause (6) on page 8 of the Bill, we find the following provision:

> "The officer or authority empowered to collect the cess may forward to the Collector a certificate under his signature specifying the amount of arrears including interest due from any person, and on receipt of such certificate the Collector shall proceed to recover the amount specified from such person as if it were an arrear of land revenue."

Naturally, the Uttar Pradesh Government was, I think, all serious of collecting the cess. But even then, how was it that the cess could not be collected and there was a balance of about Rs. 4 crores? What was the reason for the Uttar Pradesh Government not being able to collect, or to exercise its power to collect the cess from the sugar millowners? Was it because of any political consideration? Here is the question as to why the State Government was not able to exercise its own power over the sugar millowners who reside in the State of Uttar Pradesh and who make profit. That is naturally a question which will arise from every side, from any honest gentleman, and it is a question which naturally everybody would ask of the Government and demand an answer.

At page 8 we find the following provision:

> "Any sum imposed by way of penalty under sub-section (5) shall be recoverable in the manner provided in sub-section (6) for the recovery of the arrears of cess."

All powers are there. But still, the Uttar Pradesh Government could not collect it. So, we want to know from the Government what were the difficulties which came in the way of the sugar millowners who were not able to pay the arrears. As my hon. friend, Shri S. M. Banerjee pointed out, we would like to know what is the exact amount of arrears at this stage and how the situation is going to improve.

We would also vote for this Bill, because it tries to get the money which was due to the Government, and naturally it will be spent for the State. There is no doubt about it. But it must be spent only for developing research on sugarcane and also for welfare of labourers or others who

are engaged in producing sugarcane. I think the cess is meant for that purpose. One hon. Member seemed to suggest that the State was in need of money and it may spend it in any other way. I think the Union Government cannot sanction anything like that. It cannot be that the sugarcane cess, which is collected and which is to be spent for development and research in sugarcane, will be spent in any other way by the Uttar Pradesh Government. Therefore, we would like to know in which way this money is going to be spent. With these words, I commend this Bill.

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर)

सभापति महोदय, अब जिस विधेयक पर वाद-विवाद हो रहा है उस विधेयक को सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्तुत करके सचमुच गन्ना उत्पादकों के साथ बड़ा हित किया है । मिल मालिकों ने जो करोड़ों रुपया गन्ना उत्पादकों से गन्ने के विकास के नाम पर इकट्ठा किया था यू० पी० के कानून के अनुसार, वे उसे तिकड़म से या किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दे रहे थे या नहीं देना चाहते थे, इसलिये उन्होंने उच्चतम न्यायालय की शरण ली और निर्णय उनके पक्ष में रहा । वह पवित्र धन जो कि मिल मालिकों की जेब में गया था और जो कि किसानों की जेब से आया था, वह गन्ने के विकास पर ही खर्च किया जाये, इस पवित्र उद्देश्य से प्रेरित होकर सरकार ने यह विधेयक उपस्थित किया, इसलिये सदन के सारे सदस्य, चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, उसका समर्थन कर रहे हैं ।

अभी इस वाद-विवाद में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसने स्वतः इसे कानून का रूप दिया, करोड़ों की तादाद में केन सेस का जो पैसा इकट्ठा किया गया उसे वह क्यों तक वसूल क्यों नहीं कर पाई । वह पैसा मिल मालिकों के पास ही बना रहा । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कुछ सदस्यों में वाद-विवाद हुआ । एक तरफ से कहा गया कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक विचार थे उस पक्ष के कुछ सदस्यों ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष वाले बाहर कुछ कहते हैं और यहां कुछ कहते हैं । मैं उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरे जैसे लोग, जो इस पक्ष में बैठते हैं, वे दो जबान से नहीं बोला करते हैं । जो वाणी जनता में बोली जायेगी, जो विचार वहां रक्खे जायेंगे, उसी सत्य का उद्घाटन वे यहां करते हैं । वे लोग और हुआ करते हैं जो जनता में कुछ कहते हैं और सदन में दूसरी बात कहते हैं ।

दूसरी बात मैं निश्चित रूप से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा जब कि यह प्रश्न विवाद के रूप में आ गया है इस विधेयक के सम्बन्ध में कि उत्तर प्रदेश की सरकार के जरिये से जो केन सेस का पैसा वहां के निर्माण कार्य में तथा कृषकों और गन्ना उत्पादकों के हित में खर्च होना चाहिये था, उसकी वसूली में देरी क्यों होती रही ?

हमारे मित्र इस बात का समर्थन करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब कभी भी मजदूरों ने, गन्ना उत्पादकों ने, इस बात के लिये हड़ताल की, या वहां की विधान सभा में यह विवाद हुआ, तो सदा यह मांग रखी जाती थी कि सेस का जो पैसा मिल-मालकों के पास मौजूद है, जो कृषकों का पैसा है, जिस की एक एक पाई नियम के अनुसार वसूल की गई है उसको वे क्यों रखे हुए हैं । या तो मिल-मालिक अपनी पूंजी में से उसका दुरुपयोग करते रहे, या उसको रख कर कोई दूसरा लाभ उठाता रहे । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह वहां की विधान सभा की चार पांच

[श्री जगदीश अवस्थी]

साल की कार्यवाहियां देखें कि कितनी बार इस बात की मांग की गई और यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जिस सख्ती से मिल-मालिकों से सैस का पैसा वसूल करना चाहिए, वह उसने नहीं की ।

आज यह कहा गया है कि चन्दा नहीं लिया गया । मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक चन्दे का प्रश्न है, यह सब राजनैतिक पार्टियां लेती हैं—थोड़ा बहुत लेती हैं । उस सिद्धान्त से कोई इन्कार नहीं करता है । लेकिन जब लम्बा चन्दा लिया जाता है, जब लाखों की बात होती है, तो प्रश्न है कि वह चन्दा कौन ले सकता है, कौन सी पार्टी ले सकती है, यह आप समझते हैं । यह भी स्पष्ट है कि जब बड़ी बड़ी रकमें ली और दी जाती हैं, तो न लेनदार और देनदार बताता है । उत्तरप्रदेश में केन सैस के पैसे को जो मिल-मालिकों ने रोका, उसके पीछे सब से बड़ी बात क्या थी, अगर इसकी जांच पड़ताल की जाये, तो उत्तरप्रदेश के बड़े जिम्मेदार लोग निकलेंगे, जिन्होंने सौदे बाजी करके लाखों की दतादाद में अपनी पार्टी के लिये चन्दा लिया और मिल-मालिकों को सुविधा दी गई, जिसकी वजह से मिल-मालिकों को यह अवसर मिला कि वे सुप्रीम कोर्ट में आये और इस प्रकार से इस मामले को डिले किया गया ।

हमारे मित्र, श्री पांडे, ने कहा कि सैस का पैसा इतनी सख्ती से वसूल किया गया कि दो मिलें बेच देनी पड़ीं । ठीक है । वह दो मिलों का उदाहरण देते हैं, लेकिन इस बात की जांच की जाये कि उत्तर प्रदेश में कितने मिल-मालिक हैं, जिन्होंने समय पर पैसा नहीं दिया और इस बात की रपट है कि चार करोड़ रुपया बाकी है, जिसको सरकार वसूल नहीं कर पाई है । इसके पीछे क्या भावना थी ? बात साफ है । मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाये । जो लोग उत्तरप्रदेश में राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं, वहां के सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं, वे जानते हैं कि वहां चुनाव, चन्दा और चीनी की कहावत एक कहावत बन गई है, उनका अनन्योन्याश्रित सम्बन्ध बन गया है । यह बात साफ होनी चाहिए कि कौन इसका शोषण करता है और लाभ उठाता है ।

इस विधेयक को पास करने के साथ ही साथ केन्द्र सरकार और मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि आखिरकार इस पैसे को वसूल करने में क्यों देर होती रही और इसके पीछे क्या कारण थे । मुझे विश्वास है कि अगर इसकी जांच करने के लिये कोई समिति भारत सरकार ने बनाई, तो निश्चित रूप से उत्तरप्रदेश के बड़े जिम्मेदार मंत्री, बड़े राजनैतिक लोग निकलेंगे, जो इस साज-बाज में शामिल रहे और इस प्रकार लाखों की तादाद में चन्दा लिया गया, जिस की वजह से उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, जो केन सैस के नाम पर, उन्नति के नाम पर गन्ना-उत्पादकों से लिया गया ।

जहां गन्ने के क्षेत्र की जांच-पड़ताल की जाये, वहां—चूंकि यह कहा गया है कि इस सैस के पीछे उद्देश्य था कि इससे किसानों की मदद की जाय और गन्ने का अच्छा उत्पादन हो—इस बात की भी जांच की जाय कि केन सैस से जो पैसा वसूल किया गया, उसका कितना बड़ा भाग गन्ने के उत्पादन की उन्नति पर खर्च किया गया और जो पैसा बाकी रहा, उस की भी जांच होनी चाहिए । इस विवाद में हमारे मित्रों ने कहा कि हम लोग भी चन्दा लेते हैं, आप भी चन्दा लेते हैं । इस जांच से यह स्पष्ट हो जायेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन लोग, कौन पार्टी है, जो लाखों रुपया चन्दा लेती है और लेने के बाद बड़ी

हिम्मत के साथ कहती है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई विचित्र भावना नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब ने, जो सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे है, यह कसम खाई है कि जो हम जनता में कहेंगे वही करेंगे। यह करनी और कथनी का भेद समाप्त होना चाहिए। हमने—चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के—समाजवाद और समानता की कसम खाई है। अगर समाजवाद इसी प्रकार से आने वाला है कि मिल-मालिक कृषकों से जो पैसा लेते हैं, उनकी उस गाढ़ी कमाई का कानून के नाम पर दुरुपयोग करते हैं और सरकार उनका साथ दे, तो उस सरकार का, चाहे वह इस पक्ष की हो, चाहे उस पक्ष की, उद्घाटन होना चाहिए, जनता के सामने उसका चित्र आना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जब मंत्री महोदय जवाब देंगे, तो निश्चित रूप से इस बात के प्रकाश के लिए कोई कमेटी एपाइंट करने की बात कहेंगे। जब जांच-पड़ताल होगी, तो सब तथ्य सामने आयेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि इस विधेयक में नहीं रह जायेगी, जिससे मिल-मालिक नाजायज फायदा उठा सकें।

Dr. B. Gopala Reddi: Mr. Chairman, I am very happy that all political parties in the Parliament have welcomed this measure. There is not one dissentient voice against the principles of either the ordinance or the present Bill. On the basic principles of the Bill, there is no difference of opinion at all between the Government and the opposition parties and the Congress Party. They have all welcomed it. Only, while giving their approval to this Bill, they have introduced certain extraneous elements, and they discussed about donations received from the sugar industry and things like that. Whether the output of sugar in U.P. is low or high, whether the recovery is low or high, what should be done with regard to the price structure, whether sugar should be exported or should be given at lower prices to the local consmers, etc. are extraneous matters which are not germane to the Bill under consideration.

We are not imposing any new tax; we are not enabling them to tax anything new from 3rd February. What we are trying to do is to validate what was done previously from 26th January, 1950 to 3rd February, 1961. That is all. After 3rd February, 1961, it is the U.P. Government's responsibility. They have already issued an ordinance and perhaps they will also convert it into an enactment that it should be converted into a purchase tax, etc. We are concerned only with what happened between 26th January, 1950 and 3rd February, 1961. We are only trying to validate what was undone by the Supreme Court majority judgment.

From the 3rd February, of course, they have converted it into a purchase tax. Shri Braj Raj Singh asked, how is it that it has escaped the notice of the U.P. Government and the Central Government all these years? He also said, when we enact a law, it must be fool-proof, Supreme Court-proof and all that. After all, we take all the necessary steps to see that our Act does not become *ultra vires* of the Constitution and the Supreme Court and the High Court do not find any mistakes in the enactment. But in spite of all that, ingenious arguments are advanced before the Judges, certain things are discovered and the Judges also perhaps agree with one line of arguments of the advocat s and they do find certain mistakes.

This particular enactment is not there merely from 1950. It was in

[Dr. B. Gopala Reddi]

existence even from 1938 under the Government of India Act and the same section was transplanted into the Constitution of India in 1950. All these days nobody discovered any mistake. But suddenly some Diamond Mill or somebody went to the Supreme Court and said that premises of a factory is not a local area like panchayats, that this is not octroi duty but sugarcane cess and so on. It was discovered long after the enactment was made in 1938. Again in 1950 and 1953, so many enactments were made in U.P. Suddenly it was discovered by the Supreme Court. We are thankful that the Supreme Court has discovered it and we are trying to make amends for our mistake in the legislation and things like that. Again, it is not peculiar to U.P. alone. There are so many States which are levying this cess—Andhra Pradesh, Bihar, Gujerat, Madhya Pradesh, Madras, Maharashtra, Mysore and Orissa. Only Punjab, I think, in their legal wisdom or whatever it is, termed it as purchase tax. All other State Governments had it under some separate sugarcane cess Act. In Andhra in 1952 or so they passed the State legislation. Anyway, we have to consider what should be done with regard to other States. We are in consultation with the several State Governments and whenever they come with their request, perhaps we will have to come forward with another legislation validating all the collections made by the State Governments like Madhya Pradesh, Bihar etc., and perhaps that will have to be done very soon.

16 hrs.

We are always reluctant to issue Ordinance. It is not as if with a feeling of joy and delight we issue Ordinances. We always try to avoid Ordinances. U.P. asked us to issue the Ordinance on 22nd December. The judgment was delivered on the 13th. They had to get a copy of the judgment and then their Legal Department and their Cabinet have to consider that judgment. Then they addressed the Central Government "we do not have powers to do anything; we cannot issue Ordinance; we cannot undertake legislation; it is entirely in the residuary powers of the Central Government; you can do something; therefore, try to help us". When this letter came on the 22nd December, then we had to consider it and all its implications. Therefore, it is not right to say that we could have undertaken legislation between 13th and 21st December. Someone has to ask us to undertake legislation. It is for the U.P. Government to ask the Central Government to undertake legislation. We cannot do it entirely of our own. They have to consider it, because they are the affected party. And when they come before the Central Government it is not as if we could have done something without the Ordinance. It was an imperative necessity under those circumstances and there is nothing wrong in it. This is one of the very good occasions where the Ordinance could be legitimately justified. With regard to the other criticism that the cess should be spent for the improvement of the sugarcane industry, it is true that in 1938 when it was originally undertaken the intention was that. But, subsequently, the cess was increased from time to time. I know that it was very much lower in U.P. and other places. In Madras it was only 4 annas; then it became 8 annas and it is now Re. 1. In Andhra Pradesh it was 4 annas, then 8 annas, then Re. 1, then Rs. 3 and then Rs. 5. Very soon it may go up to Rs. 6 to be on par with the Mysore Government. Mysore charges Rs. 6 per ton. Therefore, from time to time it is increased and the State Governments are certainly spending certain sums—I do not

say the entire amount or the whole amount but a good deal of it—on communication round about the sugar factories for the irrigation facilities, for the sugarcane fields and also on research. I think in Kanpur you have got a first class research station. They are all being financed out of the sugar cess.

Shri S. M. Banerjee: It was done long before that. At that time the cane cess was not there.

Dr. B. Gopala Reddi: Every State, out of its meagre fund, is financing sugarcane in the matter of irrigation facilities for the sugar fields and also in the matter of communication. Communication is a very important thing for the agriculturists to bring their sugarcane to the factories. When we do not have proper communication they cannot be brought to the factories. The State Governments are trying to spend this cess money on these various matters.

Shri Chintamoni Panigrahi: Are you satisfied that they have spent it fully?

Dr. B. Gopala Reddi: I cannot say that they are spending the entire money or a good portion of it. But, as far as Madras is concerned, because their area is small, they are spending 95 per cent of the cess collection for improved irrigation facilities.

Shri Braj Raj Singh: The U.P. Act specifically provides that all the cess collected shall be spent for the improvement of the sugar cane industry. That has not been done.

Dr. B. Gopala Reddi: That act has now gone. The Supreme Court has repealed it. That Act does not exist now. It will now come under sales-tax or purchase tax. So, let us talk about the future. There is no use of talking what has been done in 1950 or 1951. That Act has been killed by the Suureme Court. It has killed and buried it, and that is the end of it.

Shri Jagdish Awasthi: Why don't you appoint a committee to go into it?

Dr. B. Gopala Reddi: With regard to the collection many points have been raised and many insinuations and imputations were made, because the U.P. Government have certain power under the dead Act and they could, if they wanted it, waive the recovery. I think in all the revenue codes you have that power. The executive government always have got the power to do that. Suppose there is famine condition. Then in the whole district the land revenue is remitted. Suppose there is large-scale disease or some pest attack and things like that. That taluk or that area must be exempt from tax and the State Governmnt must have that right to remit what they could collect. Therefore, and they did not use it for any political considerations. As far as the cess is concerned, it is being collected, will have to be collected and the State Government is very keen that no party should escape from giving the cess which is due to the Government. Even the party that has succeeded in the Sureme Court must also pay what is due to the State Government.

I can say that from 1950 they have actually collected roughly about Rs. 45 crores. The arrears are only about Rs. 4 crores. I do not think it is a very high percentage. As far as income-tax is concerned, we sometimes say it is Rs. 273 crores and then the tax arrears are Rs. 143 crores. Hon. Members have asked: why do you not collect it? We have our own difficulties. It is likewise in the matter of Central excise. In Rajasthan you have a large amount of arrears, Rs. 50 lakhs or so, and that too for the last 9 or 10 years. We are trying our best but we are unable to collect it. That

[Dr. B. Gopala Reddi]

is so even with regard to *Taccavi* loans. In every State, whether it is Madras, U.P. or Bihar, there are large arrears of *taccavi* loans. Land revenue arrears are also there. It is not as if arrears are only in this particular case.

Shri Chintamoni Panigrahi: But the Government is very serious in collecting *taccavi* loans. They are very severe so far as peasants are concerned, but not so with mill-owners.

Dr. B. Gopala Reddi: Every Govement, including Orissa Government, is serious of collecting its arrears. It is not a question before the U.P. or Bihar Government alone. The question of arrears is there before the Central Government before the income-tax department, before the customs department, before the central excise, sales-tax, land revenue, *taccavi*, irrigation, almost everywhere. After all, there will be some amount of arrears in the case of all collections. I am not denying that the State Governments and the Central Government should put all the necessary pressure to collect whatever is due to us. But there are other considerations. Somebody must have gone to Pakistan and even then the cess is being collected. Sometimes the sugar is not released immediately. There is another point. The sugar cess has, of course, become due. But sugar is not released for 10 or 15 days. Now, unless it is released they do not get the money. But the Central excise has to be paid on the spot. They cannot get the stock until they pay. But the cess becomes arrear because they have to sell it, realise the money and then the State Government have to collect it. Then there are some administrative difficulties.

An hon. Member contended that it is being done for political reasons. The U.P. Government will certainly collect those Rs. 4 crores and if they cannot collect it, they will write it off. After all, there will be a certain amount of writing off in these matters. Suppose a party has gone insolvent, they have to write it off instead of merely carrying it on account.

Anyhow, we are not concerned with it. It is certainly within the legitimate sphere of the U.P. State Government, whether they have done it rightly or wrongly. They will naturally do what is in their interests. I do not think we should go on saying to the State Government "You have not done your duty; you have not collected the arrears of Rs. 4 crores". Then they will turn round and say "Why do you not collect Rs. 273 crores of arrears of income-tax?" What is my answer to that? So, we cannot go on finding fault with each other. They have their responsibilities and they are responsible to their own people as we are responsible to Parliament here. Therefore, it is no use my suggesting to the U.P. Government what they should do. They know their job very well and they will take all the necessary steps to collect whatever is due to them.

With regard to donations also, I do not think it is a relevant point—political considerations on payment of subscriptions, donations and all that.

Some sugarcane people are also Congressmen. If they are Congressmen and if they are giving money to the Congress fund, I suppose nobody can find fault with it. If they belong to the PSP and give contributions to the PSP, nobdy can find fault with it. But the contribution is not from the amount that is due to the Government. That is extra. So that is a different matter. You have to fight out that under the Companies Act, not under this. It has no relevance to this Act.

As far as the cess is concerned, the U.P. Government have never waived it on political considerations or anything of that sort. They will not

waive it. They are a responsible government. We can trust them, certainly.

Madam, I am very happy that the Bill has received the approval of all sections of the House.

Mr. Chairman: The question is:

"That the Bill to validate the imposition and collection of cesses on sugarcane under certain Acts of Uttar Pradesh, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: I do not think there are any amendments to it. So I shall put all the clauses to the vote of the House together.

The question is:

"That clauses 1, 2, 3 and 4 the Enacting Formula and the long Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3 and 4 the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

Dr. B. Gopala Reddi: I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Chairman: The question is:.

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.12 hrs.

BANKING COMPANIES (AMENDMENT) BILL

The Minister of Revenue and Civil Expenditure (Dr. B. Gopala Reddi): Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Banking Companies Act, 1949, be taken into consideration."

The House is aware that in September, 1960, the Banking Companies (Second Amendment) Act was enacted in order to facilitate the grant of expeditious relief to the depositors of banks in liquidation and the reconstruction and amalgamation of banks, wherever such a reconstruction appears to be necessary or desirable, in the interests of the depositors or the general public.

We have so far granted a moratorium under these new powers to twelve small and medium-sized banks with deposit liabilities estimated at a little more than Rs. 10 crores. It has been necessary to freeze the assets of these institutions, pending the examination of proposals for the readjustment of their assets and liabilities, as a suitable atmosphere for a readjustment or an amalgamation cannot be created, if normal withdrawals at the option of the depositors are also permitted. As the total period for which a moratorium can be granted is limited to six months and as it is also desirable that the reconstruction and amalgamation should be completed earlier, if possible, we have had to frame the relevant scheme expeditiously and with a considerable sense of urgency, compressing within a few weeks a process which normally takes several months and sometimes even a few years.

We have already sanctioned the schemes finally in the case of Prabhat Bank, the Indo-Commercial Bank and the Bank of Nagpur, after consulting the transferor and transferee institutions, in accordance with the provisions of the statute, and after taking into consideration the other suggestions which were made by the parties or interests concerned. It is necessary on practical considerations to allow for the lapse of one full month after the sanctioning of the schemes before the moratorium orders can be lifted; and after allowing for this time lag, we hope to be able to withdraw the moratorium orders in these three cases some time during this month.